न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –01/2021 (अपील)

GCMS No. 2021/00051

शाहीन खान आत्मज श्री अब्दुल गनी जाति मुसलमान निवासी खाई रोड करबला लाडपुरा कोटा राजस्थान उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड मशीन नं0 25449 खाई रोड नं0 170 प्राधिकार संख्या 719/2008 सकतपुरा, कोटा (राज.)

–अपीलांट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर कोटा

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्य एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण विनियमन) आदेश 1976 सपठित आवश्यक वस्तु अधिनियम बाबत लाईसेंस बहाल करने उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड मशीन नं0 25449 खाई रोड शोप नं0 170 प्राधिकार संख्या 719/2008 सकतपुरा कोटा

निर्णय

उपस्थितः–

1. **श्री आबिद अब्बाशी, अभिभाषक अपीलांट**
2. **श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक**

दिनांक– 2 .04.2021

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा अपने आदेश क्रमांक/रसद/एफ0सी0एस0/2018/332 दिनांक 21.03.2018 से अन्य प्राधिकार पत्रों के साथ अपीलांट श्री शाहीद खान आत्मज श्री अब्दुल गनी जाति मुसलमान निवासी खाई रोड़ करबला लाडपुरा कोटा की उचित मूल्य दुकानदार, पोस मशीन नं0 25449 खाई रोड शोप नं0 170 प्राधिकार पत्र संख्या 719/2008 सकतपुरा कोटा का लाईसेंस निरस्त किया गया है ।
2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12.01.2021 को पेश कर कथन किया है कि अपीलान्ट फेयर प्राईज शोप नम्बर 170 पोस कोड 25449 सकतपुरा कोटा पर संचालित रही है जो अपीलान्ट ने सम्पूर्ण ईमानदारी मेहनत लगन एवं आम जनता की सन्तुष्ठी रखते हुये दुकान विधि अनुसार संचालित की गई एवं अपीलान्ट ने सम्पूर्ण ईमानदारी विधि नियम से दुकान का संचालन किया और लगातार करता रहा एवं ग्राहक सन्तुष्ठ रहे । अपीलान्ट की दुकान पर राशन कार्ड अधिक थे किन्तु वितरण के लिये न्यूनतम बोरी अनाज दिये जाने से कई राशन कार्ड धारकों में वितरण को लेकर अस्त व्यस्त मामला रहता

जिला कलेक्टर
कोटा

था उसके बावजूद भी अपीलान्ट द्वारा लगातार वितरण किया जाता था, इस कारण अपीलान्ट ने केरोसीन के साथ उपभोक्ताओं के लिये गेहूं का आवंटन कोटा बढाने का प्रार्थना पत्र भी पेश किया । जिला रसद अधिकारी महो0 के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इस मामले में स्वैच्छिक रूप से उक्त फेयर प्राईज शोप सहित कई दुकानदारों का सर्वे कर उन्हें शोप संचालन को लेकर अनिच्छुक मानते हुये कारण बताओं नोटिस जारी किये फिर सम्बन्धित समाचार पत्र में सूची प्रकाशित की इस सम्बन्ध में आदेशिका में भी अधिनस्थ माननीय रसद अधिकारी की विभागीय पत्रावली में उपस्थिति बाबत टिप्पणी है फिर भी माननीय अधिनस्थ अधिकारी ने आदेश दिनांक 21.3.2018 का एक आदेश जारी किया जिसमें अपीलान्ट का क्रम संख्या 20 पर प्राधिकार निरस्त करने का आदेश था उक्त आदेश में कुल 51 लोगों के प्राधिकार निरस्त करने की सूचना जारी की गई थी । उक्त आदेश दिनांक 21.3.2018 की सूचना अपीलान्ट को कतई नहीं हुई वह लगातार कार्यालय में सम्पर्क करता रहा किन्तु उसे कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई, जन सुनवाई में अपीलान्ट उपस्थित हुआ तब अपीलान्ट को उसकी दुकान खारिज होने के बारे में जानकारी मिली । अपीलान्ट को उक्त आदेश दिनांक 21.3.2018 की सूचना प्रथम बार दिनांक 7.12.2020 को प्राप्त हुई और उसी दिन अपीलान्ट ने नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया तथा दिनांक 18.12.2020 को नकल प्राप्त हुई । नकल प्राप्त कर सम्पूर्ण तथ्यों के साथ अधिनस्थ अधिकारी के समक्ष मौखिक निवेदन किया जहां से विधि अनुसार अपील प्रस्तुत करने की जानकारी मिलते ही उक्त अपील निर्धारित समयावधि में पेश है । अपीलान्ट के परिवार की आजीविका का साधन एक मात्र फेयर प्राईज शोप के संचालन से ही है यदि उक्त प्राधिकार को पुनः बहाल नहीं किया गया तो अपीलान्ट के परिवार के समक्ष भूखों मरने की नौबत आ आयेगी । उक्त लाईसेंस अपीलान्ट को उसके पिता श्री की मृत्यु के बाद मिला है जो कि सम्पूर्ण परिवार की आजीविका का एक मात्र साधन है । उक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 21.3.2018 की सुनवाई के पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों की पालना नहीं की गई है ना ही अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर दिया जबकि इससे पूर्व अपीलान्ट अपना प्रार्थना पत्र पेश कर चुका है उस पर कोई आदेश भी नहीं दिया, इतना ही नहीं रेस्पोडेन्ट एवं अधिनस्थ अधिकारियों ने अपीलान्ट को बार बार कार्यालय में उपस्थित रहकर जानकारी चाहने का प्रयास करने पर भी उपलब्ध नहीं कराई ना ही उसके निवास स्थान या कारोबार स्थल पर विधिवत रूप से जरिये रजिस्ट्री व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित आक्षेपित आदेश की सूचना करवाई इस कारण उक्त आक्षेपित आदेश निरस्तनीय है । अतः उक्त परिस्थितियों के चलते आक्षेपित आदेश दिनांक 21.3.2018 में क्रम संख्या 20 पर अपीलान्ट के नाम से जो प्राधिकार पत्र दुकान संख्या 719/2008 पोस कोड 25449 सकतपुरा कोटा मौखिक संचालन आदेश सकतपुरा खाई रोड कोटा का प्राधिकार निरस्ती आदेश अपास्त कर अपीलान्ट का उक्त फेयर प्राईज शोप लाईसेन्स बहाल कर अनुग्रहित करें ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । राजकीय अभिभाषक व वकील अपीलांट उपस्थित । उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।
4. वकील अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट फेयर प्राईज शोप नम्बर 170 पोस कोड 25449 सकतपुरा कोटा पर

जिला कलेक्टर
कोटा

संचालित रही है जो अपीलान्ट ने सम्पूर्ण ईमानदारी मेहनत लगन एवं आम जनता की सन्तुष्ठी रखते हुये दुकान विधि अनुसार संचालित की गई जिला रसद अधिकारी महो0 के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा इस मामले में स्वैच्छिक रूप से उक्त फेयर प्राईज शोप सहित कई दुकानदारों का सर्वे कर उन्हें शोप संचालन को लेकर अनिच्छुक मानते हुये कारण बताओं नोटिस जारी किये फिर सम्बन्धित समाचार पत्र में सूची प्रकाशित की इस सम्बन्ध में आदेशिका में भी अधिनस्थ माननीय रसद अधिकारी की विभागीय पत्रावली में उपस्थिति बाबत टिप्पणी है फिर भी माननीय अधिनस्थ अधिकारी ने आदेश दिनांक 21.3.2018 का एक आदेश जारी किया जिसमें अपीलान्ट का क्रम संख्या 20 पर प्राधिकार निरस्त करने का आदेश था उक्त आदेश में कुल 51 लोगों के प्राधिकार निरस्त करने की सूचना जारी की गई थी । अपीलान्ट के परिवार की आजीविका का साधन एक मात्र फेयर प्राईज शोप के संचालन से ही है यदि उक्त प्राधिकार को पुनः बहाल नहीं किया गया तो अपीलान्ट के परिवार के समक्ष भूखों मरने की नौबत आ आयेगी । उक्त लाईसेंस अपीलान्ट को उसके पिता श्री की मृत्यु के बाद मिला है जो कि सम्पूर्ण परिवार की आजीविका का एक मात्र साधन है । उक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 21.3.2018 की सुनवाई के पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों की पालना नहीं की गई है ना ही अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर दिया जबकि इससे पूर्व अपीलान्ट अपना प्रार्थना पत्र पेश कर चुका है उस पर कोई आदेश भी नहीं दिया, इतना ही नहीं रेस्पोडेन्ट एवं अधिनस्थ अधिकारियों ने अपीलान्ट को बार बार कार्यालय में उपस्थित रहकर जानकारी चाहने का प्रयास करने पर भी उपलब्ध नहीं कराई ना ही उसके निवास स्थान या कारोबार स्थल पर विधिवत रूप से जरिये रजिस्ट्री व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित आक्षेपित आदेश की सूचना करवाई इस कारण उक्त आक्षेपित आदेश निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश दिनांक 21.3.2018 में क्रम संख्या 20 पर अपीलान्ट के नाम से जो प्राधिकार पत्र दुकान संख्या 719/2008 पोस कोड 25449 सकतपुरा कोटा लाईसेन्स बहाल कर अनुग्रहित करें ।

5. पेरोकार रसद व राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि कोटा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारू संचालन हेतु आवंटित सामग्री के वितरण में अन्य उचित मूल्य दुकानदारों के साथ साथ रूचि नहीं होने एवं अन्य विभिन्न कारणों से उचित मूल्य दुकान का संचालन नहीं करने वाले उचित मूल्य दुकानदारों को दिनांक 10.2.2018 को प्रकाशित समाचार पत्रों के माध्यम से सुनवाई का अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 20.2.2018 तक कार्यालय में उपस्थित होने बाबत निर्देशित किया गया था । समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के बावजूद भी अपीलान्ट अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय में उपस्थित नहीं नहीं हुए । उचित मूल्य दुकानदारों की अनुपस्थिति को लापरवाही मानकर एवं उचित मूल्य दुकान चलाने में रूचि नहीं होने के कारण राजस्थन खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत अपीलान्ट की समस्त जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर राजस्थन खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार निरस्त किया गया है । अपीलान्ट स्वयं द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटित सामग्री के वितरण में अनिच्छा प्रकट की जाने से अपीलान्ट का प्राधिकार निरस्त किया गया था ।

जिला कलेक्टर
कोटा

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र उचित मूल्य दुकानदार प्राधिकार पत्र संख्या दुकान संख्या 719/2008 पोस कोड 25449 सकतपुरा को इस आधार पर निरस्त किया गया था कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवंटित सामग्री के वितरण में अनिच्छा प्रकट की जाने तथा उचित मूल्य दुकान का सुचारू संचालन नहीं कर आवंटित सामग्री के वितरण में रूचि नहीं लेने के कारण अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया था । चूंकि अब अपीलांट उक्त दुकान को सुचारू एवं विधि अनुरूप संचालन करना चाहता है तथा अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलान्ट के परिवार की आजीविका का साधन एक मात्र फेयर प्राईज शोप के संचालन से ही है यदि उक्त प्राधिकार को पुनः बहाल नहीं किया गया तो अपीलान्ट के परिवार के समक्ष भूखों मरने की नौबत आ आयेगी । अद्योपांत हम यह पाते है कि अपीलांट यदि पूर्व में उनको आवंटित उचित मूल्य दुकान संख्या 719/2008 पोस कोड 25449 सकतपुरा को विधि अनुसार राज्यादेशों के अनुरूप संचालित करना चाहता है तथा कार्य करने में रूचि होने की स्थिति में तथा अपीलांट नियमों की पालना हेतु पात्र होने एवं उक्त दुकान का आवंटन अन्य को नहीं किया गया हो तो अपीलान्ट की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निरस्त किये गये प्राधिकार पत्र को पुनः बहाल कर अपीलांट को दुकान पुनः आवंटन की जाने की कार्यवाही की जा सकती है ।

7. परिणामतः अपील अपीलांट आंशिकरूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी कोटा इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के उचित मूल्य दुकान संख्या 719/2008 पोस कोड 25449 पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए आदेश दिये जाते है कि यदि अपीलांट राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के प्रावधानों एवं शर्तो के तहत कार्य करने हेतु पात्रता रखता हो तथा अपीलांट की निरस्त की गई उचित मूल्य दुकान अन्य किसी को आवंटन नहीं की गई हो एवं रिक्त होने की स्थिति में सम्पूर्ण तथ्यों की जांच कर विधि अनुरूप कार्यवाही करते हुए उचित आदेश पारित करें । निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी कोटा को तलविदा रेकार्ड के साथ पालनार्थ भेजी जावें ।

8. निर्णय आज दिनांक 2.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा